संख्या:19/2026/94जे0/22-5-2026-300(115)/2017-ई-2004754

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2026**

विषय- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी विशम्भर निषाद पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद के उपचार हेतु संजयगांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान, लखनऊ को भुगतानित धनराशि रू० 1,04,447/- (रूपये एक लाख चार हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1976/सामा-1(3)/302/प्रया0परि0/बं0चि0धना-विशम्भर/26, दिनांक 19-01-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी विशम्भर निषाद पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद के उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में संजयगांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान, लखनऊ को भुगतान की गयी धनराशि रू० 11,04,447/- (रूपये एक लाख चार हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) की एतदद्वाराकार्योत्तर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सूर्य प्रकाश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 19/2026/94जे0/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।
3. मुख्य कोषाधिकारी, चित्रकूट।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in